उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-1

संख्या-रा०क०-1-924/11-2025-1829419

लखनऊ:: दिनांक 19-06-2025

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1050/11-3-2017-143/16 दिनाक 24-07-2017 द्वारा पूर्व में सांख्यिकीय अधिकारी की ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी है जिसमें अन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक-20 पर श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का नाम (पोषक संवर्ग सहायक साख्यिकीय अधिकारी का ज्येष्ठता क्रमांक-38) अंकित है।

2- सांख्यिकीय अधिकारी की पूर्व में जारी उक्त ज्येष्ठता सूची दिनांक 24-07-2017 में अन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक-20 से आगे की ज्येष्ठता सूची जारी करने के उददेश्य से उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के प्राविधानों के अनुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की गई है, जिसमें मुख्यतः निम्न सिद्धान्तों को अपनाया गया है:-

1. साख्यिकीय अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनाक से निर्धारित की गयी है।
2. पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुसार निर्धारित की गयी है। पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात की गयी हो, सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित की गई है।
3. पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त सांख्यिकीय अधिकारी को उनकी पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रम के अनुसार क्रमांकित किया गया है जिसमें ज्येष्ठता क्रमांक के आधार पर छूटे हुए कार्मिक या तो राज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो गये हैं अथवा अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

3- उक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य कर विभाग के 17 सांख्यिकीय अधिकारियों जिनमे 01 सांख्यिकीय अधिकारी सीधी भर्ती के 11 सांख्यिकीय अधिकारी पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त हुए हैं, तथा 05 सांख्यिकीय अधिकारी (पदोन्नति माध्यम) सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नानुसार प्रख्यापित की जाती है:-

क्र० सं०	सांख्यिकीय अधिकारी का अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक	नाम	पोषक संवर्ग मे ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	भर्ती का स्त्रोत (सीधी/प्रोन्नत)	नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि
1.	21	श्रीमती अनीता गुप्ता	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती	30.05.2019
2.	22	श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव	43	पदोन्नति 2019-20	21.08.2019
3.	23	श्री शिव कुमार तिवारी	61	पदोन्नति 2019-20	21.08.2019
4.	24	श्री त्रिभुवन नाथ श्रीवास्तव	64	पदोन्नति 2019-20	21.08.2019
5.	25	श्री हरेश प्रसाद	65	पदोन्नति 2019-20	21.08.2019
6.	26	श्री अशोक कुमार यादव	66	पदोन्नति 2019-20	21.08.2019
7.	27	डा० राधा सैनी	67	पदोन्नति 2019-20	21.08.2019
8.	28	श्री मिथिलेश कुमार गौतम	69	पदोन्नति 2019-20	21.08.2019
9.	29	डा० सुरेश चन्द्र	70	पदोन्नति 2019-20	21.08.2019
10.	30	श्री मंगल गिरी	71	पदोन्नति 2020-21	08.12.2020
11.	31	श्री राम प्रकाश	73	पदोन्नति 2020-21	08.12.2020
12.	32	श्री देवेन्द्र कुमार	74	पदोन्नति 2020-21	24.05.2021
13.	33	श्री अशोक कुमार मान	81	पदोन्नति	पत्रांक-552/ 21.05.2024
14.	34	श्री मंजूर आलम	82	पदोन्नति	पत्रांक-552/ 21.05.2024
15.	35	श्री लाल बहादुर मौर्य	83	पदोन्नति	पत्रांक-552/ 21.05.2024
16.	36	श्री उदय पाल सिंह	84	पदोन्नति	पत्रांक-552/ 21.05.2024
17.	37	श्री ओमकार सिंह मथुरिया	86	पदोन्नति	पत्रांक-743/ 03.06.2024

4- इस सम्बन्ध में उ० प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम 9(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अवस्थित सांख्यिकीय अधिकारियों में से यदि किसी सांख्यिकीय अधिकारी को कोई आपत्ति

हो तो अपनी लिखित आपत्ति दिनाक 03.07.2025 तक आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि के अन्दर आपत्ति प्राप्त न होने पर यह मान लिया जायेगा कि संबंधित सांख्यिकीय अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त किसी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा तथा प्राप्त आपत्तियों पर नियमानुसार विचारोपरान्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत कर दी जायेगी।

Digitally signed by
SHYAM PRAKASH NARAIN
Date: 19-06-2025
10:50:35

(श्याम प्रकाश नारायण)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उनसे प्राप्त आपत्तियों (यदि कोई हों) पर निराकरण हेतु आख्या सहित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध करायें।
2. संबंधित अधिकारीगण द्वारा आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAGHUBIR PRASAD
Date: 19-06-2025
11:24:41

(रघुवीर प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

ांक--स्था0--1--सांख्यिकीय अधिकारी, ज्येष्ठता निर्धारण/ 1289 /राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ ::दिनांक :: 23/06/2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1-- संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं0–रा0क0--1–924/11–2025–1829419 दिनांक 19.06.2025 के सन्दर्भ में।

2-- सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0/अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन/अनुभाग से सम्बन्धित, सूची मे अवस्थित (कार्यरत/सेवानिवृत्त) सांख्यिकीय अधिकारियों को शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.06.2025 की प्रति प्राप्त कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के कम मे यदि किसी सांख्यिकीय अधिकारी को कोई आपत्ति हो तो उनकी लिखित आपत्ति प्राप्त कर दिनांक 03.07.2025 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, निर्धारित तिथि के अन्दर आपत्ति प्राप्त न होने पर यह मान लिया जायेगा कि संबंधित सांख्यिकीय अधिकारी को कोई आपत्ति नही है । निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा तथा प्राप्त आपतियों पर नियमानुसार विचारोपरान्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत कर दी जायेगी ।

3-- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0)राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

4-- सम्बन्धित अधिकारियों को उपर्युक्त नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा।

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त(स्थापना)राज्य कर,
मुख्यालय,लखनऊ।